कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), पश्चिम चम्पारण
जिला– पश्चिम चम्पारण

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण के अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 1185 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14652/475 **दिनांक–** 15.3.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पश्चिम चम्पारण

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1185/16–17
भाग– I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, प0 चम्पारण
2	लेखा की अवधि	अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2016 तक
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	निरीक्षित कार्यालय की अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं की नमूना जाँच की गई। उक्त अवधि में जिला कोषागार, बेतिया में की गई जमा सहित माह सितम्बर 2011, जुलाई 2013 तथा फरवरी 2016 के विस्तृत जाँच में आहरण की गई राशियों का सत्यापन किया गया।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	09.01.2017 से 19.01.2017 तक (10 कार्य दिवस)
5	निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम	1. श्री संजीव बक्सी, प्रभारी पदाधिकारी 2. श्री इन्द्रदेव प्रसाद, कार्यपालक अभियंता
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री संजीव नयन, स0ले0प0अ0 2. श्री विकास आनन्द, स0ले0प0अ0 3. श्री महेश प्रसाद, व0ले0प0 4. श्री बिजेश्वर कुमार, ले0प0
7	पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री राजनंदन कुमार, व0ले0प0अ0
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	प्रथम लेखापरीक्षा।
09	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श हुआ	हाँ, दिनांक 19.01.2017 को प्रभारी पदाधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, प0 चम्पारण के साथ निर्गत आपत्तियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, प0 चम्पारण द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग–II

खण्ड– क– शून्य

खण्ड– ख

कंडिका 01. लघु खनिज मदों पर ढुलाई प्रभार का अनियमित भुगतान रू0 64.96 लाख

बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करता है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कार्रवाई की जाये तथा इसके संबंध में कार्यादेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण की लेखाओं की लेखा परीक्षा के क्रम में उपलब्ध कराये गये संचिकाओं एवं संबंधित मापी पुस्तों की नमूना जाँच में दस विभिन्न योजना संचिकाओं में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' संलग्न नहीं पाया गया, एवं लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' संवेदकों से बिना प्राप्त किये तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही भुगतान किया गया, जो कि उक्त नियमावली के अनुकूल नहीं था। संबंधित योजना संचिकाओं के मापी पुस्त (MB) में दर्ज आकड़ों के अनुसार कार्यों में उपयोग किये लघु खनिजों की ढुलाई पर किया गया कुल भुगतान रू0 6496056.00 था। इस प्रकार जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण द्वारा संवेदकों को लघु खनिजों के ढुलाई पर रु0 64,96,056 का अनियमित भुगतान किया गया। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–I पर)

अभिकरण द्वारा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा गया कि जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका 2– ब्याज की राशि रू0 366.62 लाख का योजना मद में व्यय नहीं किया जाना

सरकार के विभिन्न आवंटन आदेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है कि प्राप्त आवंटन पर बैंक में अर्जित ब्याज का उपयोग व व्यय उस योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार ही किया जाएगा जिसके लिये राशि आवंटित की गयी है तथा इस संबंध में निर्देश सरकार द्वारा समय समय पर जारी भी किया गया है। इसके संदर्भ में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं. 3576 दिनांक 13.07. 2015 के द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प सं. 2375 दिनांक 12.05.2008 में उप कंडिका सं. 2.3.3 एवं 2.3.4 को जोड़ा गया है। उप कंडिका 2.3.4 के अनुसार "योजना के अन्तर्गत जिलों को आवंटित राशि के अव्यवहृत पड़े रहने पर उस पर अर्जित ब्याज की राशि, कोई हो तो उसे योजना का ही संसाधन माना जाएगा एवं उसके व्यय हेतु वही प्रावधान लागू होंगे जो मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अन्तर्गत लागू है"।

कार्यालय, जि0श0वि0अभि0, पश्चिम चम्पारण के लेखाओं के लेखा परीक्षा के क्रम में रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त दिशा– निर्देशों का पालन न कर योजना मद में प्राप्त

अनुदान की राशियों पर बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि रू0 3,66,62,509 को वर्षों से अवरुद्ध कर रखा गया था। विवरणी निम्नवत् है–

क्रम सं.	बैंक से प्राप्ति की तिथि	राशि	अभियुक्ति
1.	28.02.11	1,33,187	Allahabad Bank, Bettiah, A/c-50035617283 Accounts Of E.E,DUDA
2.	31.08.11	81,434	
3.	29.02.11	2,43,603	
4.	31.08.12	5,57,038	
5.	28.02.13	8,78,802	
6.	31.08.13	11,34,573	
7.	28.02.14	7,73,455	
8.	30.06.14	3,44,837	SBI, Bettiah, A/c-33670067671 Accounts Of E.E,DUDA
9.	25.12.14	7,10,526	
10.	25.06.15	15,65,807	
11.	25.12.15	15,78,824	
12.	25.06.16	13,78,714	
13.	25.09.16	6,46,481	
14.	25.12.16	5,98,015	
15.	31.05.10	9,91,561	Central Bank Of India, Bettiah, A/c-3061841599 Accounts Of Chairman,DUDA
16.	30.11.10	22,70,441	
17.	31.05.11	16,66,219	
18.	30.11.11	18,13,513	
19.	31.05.12	11,32,285	
20.	30.11.12	7,20,872	
21.	31.05.13	7,58,660	
22.	30.11.13	19,14,349	
23.	31.05.14	22,69,496	
24.	30.11.14	21,32,879	
25.	31.05.15	22,33,532	
26.	30.11.15	21,26,737	
27.	31.05.16	30,35,847	
28.	31.08.16	14,93,509	
29.	30.11.16	14,77,313	
कुल		3,66,62,509	

लेखा परीक्षा टिप्पणी:

दिशा–निर्देशों के आधार पर ब्याज से प्राप्त इस बडी राशि का उपयोग संबंधित मद अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन न कर इसे कार्यालय द्वारा अवरुद्ध कर रखे जाने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के उपरांत सूद की राशि चालान द्वारा रिसीट हेड में जमा कर दिया जाएगा।

सूद की राशि चालान द्वारा रिसीट हेड में जमा कर फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 03 अपूर्ण योजनाओं पर व्यय रु0 114.46 लाख

(क) विवादित योजना के कार्यान्वयन पर निष्फल व्यय रु0 7.05 लाख

योजना सं0–08$F_2$2013–14

योजना का नाम– नगर पंचायत, रामनगर के वार्ड सं0 17 में सतीश जायसवाल के घर से हंड़र तक पी0सी0सी0, नाला एवं आर0सी0सी0 स्लैब निर्माण।

प्राक्कलित राशि– ₹ 19,87,031

एकरारनामा की राशि – ₹ 16,88,976

अभिकर्ता का नाम – मो0 इरशाद अली, संवेदक।

योजना प्रारंभ की तिथि – 23.05.13

कार्य पूर्ण की तिथि – 22.08.13

मापी की राशि –₹ 8,30,084

भुगतान – ₹ 7,05,571

योजना स्थिति – अपूर्ण

लेखापरीक्षा अभियुक्ति–

(i) प्राक्कलन में 1,065 फीट की लम्बाई में पी0सी0सी0, नाली तथा आर0सी0सी0 स्लैब के निर्माण का प्रावधान किया गया था। परन्तु मापी पुस्त के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पी0सी0सी0, नाली तथा आर0सी0सी0 स्लैब निर्माण का कार्य मात्र 436 फीट की लम्बाई में ही किया गया था तथा विवाद के कारण योजना को अपूर्ण अवस्था में (कुल कार्य का मात्र 41 प्रतिशत किया गया था) छोड़ दिया गया। उक्त सड़क का निर्माण ब्लॉक रोड से हंडर तक किया जाना था। संलग्न डायग्राम के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ब्लॉक रोड से शुरु होने वाले भाग का निर्माण नहीं कराया गया था। शुरुआत का मुख्य भाग जो मुख्य सड़क को जोड़ता था उसका 629 (60 प्रतिशत) फीट लम्बाई छोड़कर अन्त का 436 (41 प्रतिशत) फीट लम्बाई में ही कार्य कराया गया। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मुख्य सड़क से शुरुआती भाग निजी जमीन का हिस्सा होने के कारण संबंधित जमीन मालिकों के द्वारा निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया। इस प्रकार देखा जाय तो अर्द्ध निर्मित सड़क का मुख ही अवरुद्ध कर दिया गया जिसके कारण रु0 7,05,571 का व्यय कर किए गए सड़क निर्माण का कोई लाभ नहीं हो सका।

(ii) जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 118, श0वि0, दिनांक 25.09.12 में भी स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कार्य शुरु करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजना में कोई विवाद नहीं है तथा किसी भी मद से पिछले पॉच वर्षों में उस पर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग गोपनीय कोषांग द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 948 दिनांक 16 जुलाई 1986 के अनुसार कार्य की निविदा तभी किया जाना है जब उस कार्य के लिए भूमि उपलब्ध हो। यदि

भूमि उपलब्ध न हो तो कार्य प्रारभ करने से पूर्व भूमि का अधिग्रहण करना चाहिए। परन्तु संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचरियों द्वारा उक्त दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

इस प्रकार अभिकरण द्वारा योजना प्रारम्भ करने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि योजना स्थल में कोई विवाद है अथवा नहीं, जिसके कारण योजना को बीच में छोड़ देने से किया गया व्यय रु0 7,05,571 निष्फल हो गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई की जाएगी।

(ख) अपूर्ण नगर सरकार भवन योजना पर व्यय रु0 107.41 लाख

प्रस्तुत योजना संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित योजना कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि

के पश्चात भी अपूर्ण थी।

योजना सं0–01/SBD/15–16

योजना का नाम–नगर परिषद्, बगहा में नगर सरकार भवन का निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि– ₹ 2,51,50,122

एकरारनामा की राशि – ₹ 2,51,37,547

अभिकर्ता का नाम – श्री राजीव रंजन, संवेदक।

योजना प्रारंभ की तिथि – 30.06.15

कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि – 29.12.16

मापी की राशि – ₹ 1,07,47,003/20.06.16

भुगतान – ₹ 1,07,41,606

योजना स्थिति – अपूर्ण

लेखापरीक्षा अभियुक्ति–

(i) केवल छत ढलाई कार्य किया गया है। टाईल्स, मार्बल, पलास्टर, दरवाजा एवं खिड़की तथा अन्य फिनिशिंग कार्य अपूर्ण हैं। योजना को पूर्ण करने की अवधि अर्थात डेढ साल बीत जाने के पश्चात भी अभी तक प्राक्कलित राशि का मात्र 42.73% ही कार्य कराया जा सका है। इसी गति से कार्य हाने पर डेढ से दो वर्ष और लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त योजना के इतने अंतराल के पश्चात भी पूर्ण नहीं होने के कारण योजना के उद्धेश्य की पूर्ति किस प्रकार हो सकी तथा योजना को ससमय पूर्ण कराने हेतु उठाये गये कदमों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उक्त आपत्ति के अलोक में जवाब दिया गया कि नगर सरकार भवन को शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

नगर सरकार भवन को शीघ्र पूर्ण कराकर फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका 04 सुरक्षित जमा पंजी का संधारण नहीं किया जाना

रोकड़ बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित राशियॉ विभिन्न एजेन्सियों को सुरक्षित जमा राशि की वापसी के रुप में भुगतान किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है–

Sl	Name Of Agency	Cheque No/Date	Amount
1	Tirupati Tech Construction	754479/11.10.11	238121
2	Satyendra Saran	816126/24.12.11	92177
3	Everest Construction Company	816127/24.12.11	43349
4	Hitendra Pandey	755072/10.02.12	22104
5	M/S Sahi Construction	755073/10.02.12	81614
6	M/S Rameej Construction	755075/24.02.12	8221
7	Sahir Hussain	755076/24.02.12	75650
8	M/S Sharma Construction	755077/24.02.12	167591
9	Kishore Kumar	755078/25.02.12	28754
10	Shambhav Enterprises	002052/16.06.12	29005
11	Arun Upadhyay	002067/23.08.12	136954
12	M/S Mahavir Construction	002068/31.08.12	133028
13	M/S Maa Vaishnavi Construction	002084/03.10.12	33524
14	Munna Kumar	002087/03.10.12	88723
15	Sharda Bhavani Construction	206675/06.05.11	170289
16	Jai Bhavani Construction	206676/12.05.11	220203
17	Kishore Kumar	754473/17.09.11	31601
18	Raneshwar Singh	754477/24.09.11	72859
19	Sakaldeo Mishra	754478/24.09.11	46795
20	Munna Kumar Jaiswal	754467/30.11.11	22035
21	Munna Kumar Jaiswal	755082/13.01.12	98612
22	Chandeshwar Choudhari	755083/13.01.12	66855
23	Sakaldeo Mishra	755085/13.01.12	137939
24	Munna Kumar Jaiswal	755088/13.01.12	72589
25	Sakaldeo Mishra	755090/13.01.12	64690
26	Munna Kumar Jaiswal	755061/13.01.12	52491
27	Rakesh Kumar Singh	755063/13.01.12	108889
28	Rakesh Kumar Singh	755064/13.01.12	70943
29	Chintamani Pandey	755065/21.01.12	74160

30	Tirupati Tech Construction	755068/25.01.12	16297
31	Chandeshwar Choudhari	755069/25.01.12	104525
32	M/S Sahi Construction	755071/25.01.12	30563
33	Everest Construction	815061/20.03.12	42972
34	M/S Hind Construction	815067/29.03.12	22338
35	M/S Singh & Giri Infrastructure	815074/08.05.12	44371
36	Arun Upadhyay	002074/13.09.12	52525
37	M/S Gupta Construction	002081/22.09.12	134110
38	M/S Bhardwaj Construction	002082/26.09.12	75719
39	Arun Upadhyay	002562/27.11.12	24275
40	Munna Kumar Jaiswal	002564/27.11.12	30906
41	Sambhav Enterprises	002584/16.01.13	185061
42	Sharda Bhavani Construction	002580/16.01.13	97893
43	Mahavir Construction	002618/14.05.13	10730
44	Krishna Murari Chaturvedi	944147/27.11.13	194893
45	M.Enulah	001993/18.03.14	50296
46	Krishna Murari Chaturvedi	961571/16.04.15	107872
47	Sanjeev Kumar Gupta	255301/20.06.15	143843
48	Sanjeev Kumar Gupta	255302/20.06.15	114308
49	Ramakant Mishra	255331/05.08.15	59187
50	Ramakant Mishra	255332/05.08.15	61451
51	Kanchan Singh	255378/05.11.15	51035
TOTAL			4144935

उक्त सुरक्षित जमा राशि की कटौती तथा वापसी से संबंधित सुरक्षित जमा पंजी आवश्यक जॉच हेतु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण सुरक्षित जमा राशि की कटौती, कार्य की समाप्ति, फ्री मेंटेनेंस अवधि की समाप्ति के पश्चात सुरक्षित जमा राशि की वापसी इत्यादि की जॉच नहीं किया जा सका।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में सुरक्षित जमा पंजी का संधारण कर लिया जाएगा।

सुरक्षित जमा पंजी का संधारण कर फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका 05 नगर पंचायत रामनगर के वार्ड सं. 5 में अवधेश जोशी के धर से दीना जायसवाल के धर तक एवं टीकुलीधर के धर से ... पी.सी.सी. निर्माण कार्य की समीक्षा।

योजना का नाम	:	नगर पंचायत रामनगर के वार्ड सं. 5 में अवधेश जोशी के धर से दीना जायसवाल के धर तक एवं टीकुलीधर के धर से ... पी.सी.सी. निर्माण कार्य।
योजना/एकरारनामा सं.	:	24F2/2013-14
मापी पुस्त सं.	:	33
अभिकर्त्ता का नाम	:	शंकर प्रसाद
प्रशासनिक स्वीकृति	:	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ज्ञापांक सं. 04 श.वि. दिनांक 23.01.2013
तकनीकी स्वीकृति	:	कार्यपालक अभियन्ता, जि.श.वि.अभि., (अभियंत्रण कोषांग) पश्चिम चम्पारण
प्राक्कलित राशि	:	रू0 1172786.00
एकरारनामा की राशि	:	रू0 996868.00
कार्यादेश की तिथि	:	19.07.2013
कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि	:	3 माह

मापी पुस्त के अनुसार अभिकर्त्ता को भुगतान का विवरणः

क्रम सं.	विपत्र सं.	Gross Payable राशि	सु.ज./SD	ST	IT	Labour Cess	Royalty	चेक से भुगतान
1	प्रथम चालू विपत्र	738840	36942	36942	16742	7389	15845	624980
2	द्वितीय चालू विपत्र	243027	12151	12151	5507	2431	–	210787
3	तृतीय चालू विपत्र	0	0	0	0	0	0	0
	योग	981867	49093	49093	22249	9820	15845	835767

लेखा परीक्षा अभ्युक्तिः

1. योजना हेतु जिला पदाधिकारी, प.चम्पारण के स्वीकृत्यादेश के शर्त सं. 2 के अनुसार योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर योजना का स्थलीय रंगीन फोटोग्राफी करायेगें, जिसे अभिकर्ता को निर्गत पत्रांक सं. 214 दिनांक 16.03.2015 के अनुसार एक प्रति संबंधित योजना अभिलेख में रखी जाय और साथ हीं शर्त सं. 3 के अनुसार योजना स्थल पर विस्तृत जानकारी हेतु एक सूचनापट्ट लगाया जाएगा।

   योजना संचिका में Detail Estimate एवं BOQ की प्रति संलग्न नहीं पाई गयी। मापी पुस्त के अनुसार सूचना पट्ट एवं फोटोग्राफ पर रू0 3000.00 का व्यय दर्शाया गया है। परंतु संबंधित संचिका में सूचनापट्ट लगाये जाने एवं निर्माण कार्यो का विभिन्न स्तरों फोटोग्राफी संबंधी प्रमाण संलग्न नहीं पाया गया। इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

2. योजना हेतु जिला पदाधिकारी, प.चम्पारण के स्वीकृत्यादेश के शर्त सं. 4 के अनुसार तीन माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण–पत्र समर्पित करेंगें। संबंधित संचिका में उक्त प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया। इसे लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किया गया।

3. लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान रू0 5.06 लाख।

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत हीं लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करता है तो इसकी कटौती कर हीं भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाय कि प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उक्त कार्य से संबंधित योजना संचिका के नमूना जाँच में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह प्रतीत होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये हीं तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये हीं दिया गया, जो कि उपर्युक्त नियमानुकूल नहीं है। MB के अनुसार इस कार्य में उपयोग किये लधु खनिजों पर किया गया भुगतान निम्नानुसार है–

मद का नाम	मात्रा	दर	परिवहन व्यय राशि
Local Sand	61.36 M^3	3047.40/M^3	186988.00
Stone Chips	122.73 M^3	3330.60/M^3	408765.00
		योग	595753.00

अतः उक्त कार्यों में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये हीं लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान कुल रू0 506390.00 (रू0 595753.00– 15%: कुल भुगतान में कटौती) किया गया। लेखा परीक्षा में उक्त का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

4. लघु खनिजों के क्रय स्थल संबंधी प्रमाण नहीं होने की स्थिति में ढुलाई प्रभार मान्य किये जाने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।
5. योजना के प्राक्कलित राशि रू0 1172786.00 के विरूद्ध मात्र रू0 981867.00 का कार्य कराया गया एवं योजना को पूर्ण प्रतिवेदित किया गया। विश्लेषण उपलब्ध नहीं था।
6. अभिकर्त्ता द्वारा जमा किया गया Earnest Money की राशि एवं संधारित पंजी उपयुक्त जाँच हेतु लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किया गया।

उक्त आपत्ति के अलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई की जाएगी।

जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई कर फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 06 क. Bill of Quantities (BOQ) के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग नहीं/अवरोधन, रू0 31.74 लाख

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण के लेखाओं की नमूना जाँच में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा परिणामी विपत्र (BOQ) के रूप में दिनांक 31.12.2016 को रू0 3173750.00 प्राप्त किया गया था। यह राशि निविदा दाताओं (contractor) से निविदा (contract) के समय कार्यालय द्वारा प्राप्त/संग्रहित किया जा रहा था। इस BOQ की राशि को कार्यालय द्वारा बैंक खातों में जमा किया गया था। विभिन्न वर्षों के दौरान BOQ के रूप में कार्यालय द्वारा प्राप्त/संग्रहित राशियों का विवरणी निम्नवत् है–

क्रम सं.	वर्ष	प्राप्त राशि (रू0 में)
1.	2010–2011	533750
2.	2011–2012	–
3.	2012–2013	1024250
4.	2013–2014	20000
5.	2014–2015	988250
6.	2015–2016	490000
7.	2016–2017	117500
	कुलः	3173750

उक्त बड़ी राशि (रू0 31.74 लाख) को कार्यालय द्वारा अवरोधित रखने एवं उपयोग/सरकार को वापस न करने के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

उक्त BOQ की राशि का संधारण कार्यालय द्वारा किसी भी पंजी/बही में उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

ख. निविदा मद में MR से प्राप्त राशि रू0 5.23 लाख

कार्यालय, जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण के लेखाओं की नमूना जाँच में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि विभिन्न MR से निविदा मद में कुल रू0 523148.00 कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था (परिशिष्ट–II)।

कार्यालय द्वारा MR से संबंधित भंडार पंजी एवं MR के द्वारा कार्यालय को प्राप्त राशि के प्रविष्टि से संबंधित अभिलेखों को लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त आपत्ति के अलोक में जवाब दिया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राशि को चालान द्वारा जमा कर दी जाएगी।

राशि को चालान द्वारा जमा कर फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

कंडिका[06] 07. उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत दिये गये प्रत्येक आवंटन की शर्तों के अनुसार राशि

का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को उपलब्ध करायी जानी थी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नवत थी–

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवंटन राशि (लाख में)	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र में निहित राशि	अंतर
1	2008–09	722.90	722.90	–
2	2009–10	1150.00	1150.00	–
3	2010–11	501.00	501.00	–
4	2011–12	222.92	222.92	–
5	2012–13	462.44	–	462.44
6	2013–14	867.87	867.87	–
7	2014–15	721.99	–	721.99
8	2015–16	664.86	–	664.86
		5,313.98	3,464.69	1,849.29

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि विभाग को कुल आवंटन रु0 5,313.98 लाख के विरुद्ध मात्र रु0 3,464.69 लाख राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही समर्पित किया गया था।

शेष राशि रु0 1,849.29 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए जाने का कारण लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।

समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र रु0 3,464.69 लाख में जिला शहरी विकास अभिकरण, प0 चम्पारण (अभियंत्रण कोषांग) तथा अन्य नगर निकायों को हस्तांतरित राशि थी। नगर निकाय एवं जिला शहरी विकास अभिकरण, प0 चम्पारण (अभियंत्रण कोषांग) द्वारा वास्तव में कितनी राशि का व्यय किया गया था उसकी सूची प्रस्तुत नहीं किया गया। नगर निकायों को हस्तांतरित राशि की सूची तथा उनसे प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक जॉच हेतु लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि शेष राशि की उपयोगिता भेजने हेतु कार्रवाई क्रम में है।

शेष राशि की उपयोगिता भेज कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

भाग –III

नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (TAN)

टिप्पणी 01. योजना पंजी, योजना से संबंधित अभिलेखों एवं रोकड़ बही का संधारण

जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (अभियंत्रण कोषांग) के योजना संबंधी अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है–

i. योजना पंजी अपूर्ण एवं सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ संधारित नहीं था।
ii. योजना पंजी में योजनाओं को योजना सं. एवं वर्ष के साथ अंकित नहीं किया गया था।
iii. योजना को पूर्ण होने संबंधी पूर्णता प्रमाण पत्र का इंद्राज नहीं किया गया।
iv. योजना विशेष की संचिका में योजना से संबंधित अभिलेख यथा निविदा आमंत्रण सूचना एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण का संधारण नहीं था।
v. संचिकाओं में भुगतान संबंधी आदेश दर्ज नहीं था।
vi. सुरक्षित जमा पंजी का संधारण नहीं होने से सुरक्षित जमा की प्राप्ति/कटौती एवं वापसी संबंधी जाँच नहीं की जा सकी।
vii. रॉयल्टी, सेल्स टैक्स, श्रम सेस आदि कटौती से संबंधित बही का संधारण नहीं किया गया था।
viii. अक्टूबर 2010 से दिसंबर 2012 के बीच दो रोकड़ बहियों का संधारण एक साथ किया गया एवं दिनांक 01.01.2013 को आरंभिक शेष के रूप में ली गयी राशि को "as per cheque book register" से लिखा गया है। दिनांक 01.11.2016 से 31.12.2016 तक रोकड़ बही को कार्यालय प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है। साथ हीं, रोकड़ बही में बैंक समाधान विवरणी का संधारण भी नहीं पाया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उक्त सुझावों का अनुपालन किया जाएगा।

टिप्पणी 02. स्पर योजना के रोकड़ बही के संधारण में अनियमितता।

बिहार कोषागार संहिता के अन्तर्गत सभी मौद्रिक लेन– देनों को अविलम्ब रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए तथा उसे कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए, जिससें उनके द्वारा किए गए जांच की पुष्टि हो सके। रोकड़ बही प्रतिदिन रोकड़ शेष से मिलान के पश्चात बंद किया जाना चाहिए। कार्यालय प्रधान द्वारा रोकड़ पंजी के योग की जाँच तथा रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन किए जाने के पश्चात प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी बनाते हुए एक प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए।

जिला शहरी विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (अभियंत्रण कोषांग) के लेखाओं के लेखा परीक्षा के क्रम में स्पर योजना से संबंधित उपलब्ध कराये गये रोकड़ बही के नमूना जांच में पाया गया कि नवम्बर 2014 से उक्त रोकड़ बही संधारित नहीं किया गया है तथा अगस्त 2014 से नवम्बर 2014 तक

उसे कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित नहीं पाया गया। नवम्बर 2014 में उक्त रोकड़ बही के अनुसार अंत शेष के रूप में रू0 2299630.00 था। जांच में यह भी पाया गया कि स्पर योजना के अंतर्गत समय–समय पर राशियों की निकासी चेक के माध्यम से किया जाता रहा है एवं सेंट्रल बैंक (A/c No. 3245010962) के पासबुक में दिनांक 31.12.2016 को **Balance** के रूप में ₹ 1646.18 पाया गया। रोकड़ बही में कभी भी बैंक समाधान विवरणी बना हुआ नहीं पाया गया।

रोकड़ बही के अद्यतन संधारण नहीं होने एवं बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाने के कारण से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया एवं रोकड़ बही को अद्यतन एवं कार्यालय प्रधान से अभिप्रमाणित कर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उक्त सुझावों का अनुपालन किया जाएगा।

–हस्ता0–
(राजनंदन कुमार)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

परिशिष्ट-II06

लघु खनिज ढुलाई पर व्यय विवरणी

क्रम सं.	योजना सं.	एकरारनामा सं. एवं तिथि	एकरारनामे की राशि (रू0 में)	अभिकर्त्ता का नाम (श्री)	मापी पुस्त सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रू0 में)	परिवहन व्यय राशि (रू0 में)	कुल भुगतान पर कटौती कर का प्रतिशत	कटौती कर परिवहन पर व्यय की गयी राशि (रू0 में)
1	नरकटियागंज वार्ड सं. 01 में ... पी.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	25F2 / 14–15, 16.03.2015	2294736	भीम कुमार	80/ 16.03.2015	Sone Sand	117.32 M^3	3142.21/M^3	368644	10%	331780
						Stone Chips	124.30 M^3	1856.30/M^3	230800	10%	207720
2	नगर परिषद बगहा के वार्ड सं. 05 में एस. एस.बी. कैंप ... पी.सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य	9F2 / 14–15, 19.01.2015	1751875	शशि प्रताप तिवारी	66/ 19.01.2015	Sone Sand	94.16 M^3	3320.85 /M^3	246274	10%	221647
						Stone Chips	158.10 M^3	1958.202 /M^3	309591	10%	278632
3	रामनगर वार्ड सं. 12 में ... पी.सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	06F2 / 14–15, 08.01.2015	2923510	चिन्तामनी पण्डेय	63/ 19.01.2015	Sone Sand	180.28 M^3	3153.60 /M^3	568531	10%	511678
						Stone Chips	300 M^3	18989.35 /M^3	569505	10%	512555
4	रामनगर वार्ड सं. 03 में ... पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	04F2 / 15–16, 23.05.2015	2450776	ध्रुव नारायण सिंह	91/ 23.05.2015	Sone Sand	141.25 M^3	3381.38 /M^3	477620	10%	429858
						Stone Chips	237.12 M^3	1920 /M^3	455270	10%	409743
5	बगहा नगर परिषद के वार्ड सं. 21 में ... पी. सी.सी. निर्माण कार्य	11F2 / 15–16, 09.06.2015	1700775	मनोज कुमार साही	98/ 09.06.2015	Sone Sand	88.36 M^3	3560.75/M^3	314628	10%	283165
						Stone Chips	110.80 M^3	1986.43 /M^3	220096	10%	198086
6	बगहा वार्ड सं. 34 में ... पी.सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	03F2 / 15–16, 09.06.2015	957332	गोपाल प्रसाद गुप्ता	60/ 06.01.2015	Sone Sand	49.68 M^3	3320.85 /M^3	164980	10%	198086
						Stone Chips	85.17 M^3	1958.20 /M^3	166780	10%	148482
7	नगर पंचायत वार्ड सं. 03 में ... पी.सी.सी. निर्माण कार्य	01F2 / 15–16, 22.04.2015	1871333	Helan Fransis	88/ 22.04.2015	Sone Sand	95.90 M^3	2723.66 /M^3	261199	10%	150102
						Stone Chips	189.59 M^3	1779.84 /M^3	337440	10%	235079

क्रम सं.	योजना सं.	एकरारनामा सं. एवं तिथि	एकरारनामे की राशि (रू0 में)	अभिकर्त्ता का नाम (श्री)	मापी पुस्त सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर (रू0 में)	परिवहन व्यय राशि (रू0 में)	कुल भुगतान पर कटौती कर का प्रतिशत	कटौती कर परिवहन पर व्यय की गयी राशि (रू0 में)
8	बेतिया वार्ड सं. 04 में ... पी.सी.सी. एवं नाला निर्माण कार्य	05F2 / 15–16, 30.06.2015	1918436	Helan Fransis	92/ 25.05.2015	Sone Sand	98.52 M^3	2723.66 /M^3	268335	10%	303696
						Stone Chips	116.88 M^3	1779.84 /M^3	208028	10%	241502
9	नगर पंचायत चनपटिया के बस स्टैंड़ चौक ... पी.सी.सी. निर्माण कार्य	13F2 / 2014–15, 20.01.2015	3486137	शिवरत्न यादव	68/ 20.01.2015	Sone Sand	185.95 M^3	2707.60 /M^3	503478	10%	187225
						Stone Chips	376.34 M^3	1782.15 /M^3	670694	10%	453130
10	नरकटियागंज के वार्ड सं. 23 में ... पी.सी.सी. निर्माण कार्य	14F2 / 14–15, 20.01.2015	4023370	शिवरत्न यादव	69/ 20.01.2015	Sone Sand	167.27 M^3	2930.60 /M^3	490201	10%	603625
						Stone Chips	209.49 M^3	1841.35 /M^3	385744	10%	441181
	योग										6496056

परिशिष्ट - II

निविदा मद में MR से प्राप्त राशि का विवरण

क्रम सं.	MR No.	दिनांक	राशि (रू0 में)	अभ्युक्ति
1.	156451—156500	04.04.2013	396250.00	
2.	156501—156515	04.04.2013	121998.00	In use
3.	156515—156527	16.06.2014		
4.	156601	13.08.2013	5000.00	In use
	योग		523148.00	

कार्यपालक अभियन्ता
जिला शहरी विकास अभिकरण
प0 चम्पारण (बेतिया)